न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 114/2024
निर्णय दिनांक : 22.05.2024

1. बलजिंदर सिंह पुत्र हरजिंदर सिंह निवासी प्लाट नम्बर एफ 3/16, 17 इन्द्रासन अपार्टमेन्ट, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करवाने हेतु

निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व व अधिकार की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 309 पुराना 33 में वर्णित खसरा नम्बर 1999/312 रकबा 0.3200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2000/312 रकबा 1.8600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 309/1 रकबा 0.0200 हैक्टयर, कुल किता 3 कुल रकबा 2.2000 हैक्टयर जो वाके ग्राम पंवालिया पटवार हल्का पंवालिया, भू.अ. नि.क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित है। प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की सुरक्षार्थ हेतु उसके चारो तरफ पुख्ता पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिससे आवारा मवेशी प्रार्थी की उक्त भूमि के अन्दर नहीं घुस सके तथा प्रार्थी की फसल को नष्ट नही कर सके। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान का श्रीमान तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात का सीमाज्ञान करने के आदेश प्रदान करे। जिस पर तहसीलदार ने आदेशित कर प्रार्थी की कृषि भूमि के सीमाज्ञान के आदेश प्रदान कर दिये। तहसीलदार के उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने प्रार्थी व पडौसी खातेदारो की मौजूदगी मे दिनांक 09.05.2024 को मौके पर सीमा चिन्ह कायम कर दिये किन्तु समय के साथ उक्त सीमा चिन्ह नष्ट हो गये। प्रार्थी मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का अभिलिखित खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थी को अपनी भूमि का पुख्ता पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण अलग अलग दिनो मे प्रार्थी की उक्त भूमि मे आवारा पशुओ द्वारा अन्दर घुसकर फसल को नष्ट किये जाने से उसको नुकसान होकर ... जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 वर्णित है का वर्तमान राजस्व नक्शे के आधार पर ही सीमाज्ञान करवाया जाकर, तदनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को प्रदान करते हुए उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 16:00:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

आशय की तहरीर जारी करने की कृपा करे। अन्य अनुतोष जो प्रार्थी के हित मे हो, वह भी प्रार्थी के पक्ष मे पारित करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी को सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के स्वामित्व व अधिकार की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 309 पुराना 33 में वर्णित खसरा नम्बर 1999/312 रकबा 0.3200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2000/312 रकबा 1.8600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 309/1 रकबा 0.0200 हैक्टयर, कुल किता 3 कुल रकबा 2.2000 हैक्टयर जो वाके ग्राम पंवालिया पटवार हल्का पंवालिया, भू.अ.नि.क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित है का वर्तमान राजस्व नक्शे के आधार पर ही सीमाज्ञान करवाया जाकर, तदनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को प्रदान करते हुए उक्त आशय की तहरीर जारी करने की कृपा करे। अन्य अनुतोष जो प्रार्थी के हित मे हो, वह भी प्रार्थी के पक्ष मे पारित करने की कृपा करे।

बहस उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, यदि मौके पर जमीन खाली हो एवं किसी की आपत्ति नही हो अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की ग्राम पंवालिया पटवार हल्का पंवालिया, भू.अ.नि.क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 309 पुराना 33 में वर्णित खसरा नम्बर 1999/312 रकबा 0.3200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2000/312 रकबा 1.8600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 309/1 रकबा 0.0200 हैक्टयर, कुल किता 3 कुल रकबा 2.2000 हैक्टयर नियमानुसार तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान मौका–फर्द रिपोर्ट दिनांक 09.05.2024 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
...द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 16:00:26 IST
Reason: SelfAttested